मच्छर मारने की नकली रिफिल बेचने वाले दुकानदारों पर हुई कार्यवाही

भिन्न / छत्तीसगढ़

कुणाल सिंह ठाकुर | 21 Mar , 2021 12:11 PM

रायपुर। राजधानी में मच्छर मारने वाली रिफिल की डुप्लीकेट तैयार कर बाजार में बेचे जाने की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। नकली माल बेच रहे दुकानदारों पर कॉपी राईट का मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल गोदरेज कंपनी की मच्छर मारने वाली रिफिल का डुप्लीकेट माल तैयार कर बाजार में बेचे जाने की शिकायत पर राजेन्द्रनगर पुलिस ने मारुति किराना भण्डार, अमर प्रोविजन स्टोर और जय माता दी किराना स्टोर्स के संचालक के खिलाफ कॉपी राईट कर नकली माल बेचने के जुर्म में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। नई दिल्ली निवासी रविन्द्र सिंह 30 वर्ष ने राजेन्द्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वे एसीडयुस कंसल्टींग प्राईवेट लिमिटेड गुरूग्राम में सीनियर इनवेस्टीगेटर के पद पर कार्यरत है। गोदरेज प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नकली उत्पादों की बाजार में रोकथाम के लिए प्रार्थी को अधिकृत किया गया है। 20 मार्च को रायपुर स्थित महावीर नगर और अमलीडीह मार्केट में स्थित अमर प्रोविजन, मारूति किराना, जय माता दी किराना और आसपास के अन्य दुकानों में छापामाकर के संचालकों से गोदरेज प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से संबंधित गोदरेज का नकली उत्पाद गुडनाईट गोल्ड विजिबल वेपोराईजर के मच्छर मारने वाला रिफिल को असली बताकर नकली बिक्री करते पाया गया था। नकली माल बेचने के जुर्म में इन दुकानदारों पर कार्यवाही की गई।

Source: https://glibs.in/MISC/Action-taken-against-shopkeepers-selling-fake-mosquito-refills-125409.html